



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

नानूराम बनाम हरकोरी आदि

किरम मुकदमा 212 आरटीएक्ट नं० 08 / 15.02.2021 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तारीख जारी हुआ
15-02-21	<p>प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री नरेन्द्र शर्मा के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके चक 3 सीएचएन के खाता संख्या 141/135 मु० नं० 52 किला नं० 24 की कुल 0.253 हैक्टेयर, मु.नं. 55 के किला नं. 1 ता 4, 8 ता 13, 18 ता 22 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर कुल कित्ता 16 की 4.0480 हैक्टेयर वाद भूमि को अपार्थीगण मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वापकोस कार्य, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रस्तुत नहीं करने पर तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नहीं बढ़ाई जावेगी। इस संबंध में अप्रार्थी को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फैसला कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण के तलबी हेतु नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 26.03.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़) </p> <p style="text-align: center;"> पत्रावली पेश हुई पीतासीन अधिकारी .. दिनांक 13/07/21 को पेश </p>	
16 ⁰³ / ₂₁	<p>प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी उक्त प्रकरण को चलाना नहीं चाहते हैं। आदेश दिनांक 15.02.21 को अयास्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act खारिज। विद्वा की जानी है। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर काखिल कफतव हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़) </p>	<p style="text-align: center;"> नानूराम पक्षीयगण  </p>